भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2029

जिसका उत्तर 06.08.2025 को दिया जाना है

दोपहिया वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें

2029 श्री रविचंद्र वद्दीराजूः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में दोपहिया वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं में राज्य-वार (तेलंगाना सहित) कितनी मौतें हुईं;

(ख) हेलमेट और सुरक्षा गियर संबंधी विनियमों का अनुपालन किस सीमा तक किया गया है;

(ग) क्या दोपहिया वाहनों की सुरक्षा में सुधार के लिए कोई प्रायोगिक परियोजनाएँ चल रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं और यह विभिन्न कारकों के परस्पर प्रभाव का परिणाम हैं। इन्हें मोटे तौर पर (i) मानवीय भूल, (ii) सड़क की स्थिति/पर्यावरण और (iii) वाहनों की दशा में वर्गीकृत किया जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, कैलेंडर वर्ष 2020 से 2022 के लिए दोपहिया वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटना में राज्य-वार मौतों की संख्या **अनुलग्नक-I** के अनुसार संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार ने दोपहिया वाहनों की सुरक्षा में सुधार के लिए कई पहल की हैं, जिनमें हेलमेट और सुरक्षा गियर के विनियमों का अनुपालन भी शामिल है। इन पहलों में, अन्य बातों के साथ ही, निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. मोटर यान अधिनियम, 1988 से संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है और इसमें अन्य बातों के साथ ही यातायात उल्लंघनों के लिए दंड में संशोधन, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर दंड में वृद्धि आदि शामिल हैं।

ii. मोटर यान अधिनियम (एमवी अधिनियम), 1988 की धारा 128 में प्रावधान है कि कोई भी दोपहिया मोटर साइकिल का चालक मोटर साइकिल पर अपने अलावा एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जा सकता है।

iii. एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 129 में प्रावधान है कि चार वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति, जो मोटरसाइकिल चालन या उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है, तो उसे सुरक्षात्मक हेडगियर/हेलमेट पहनना होगा।

iv. केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के नियम 138 (4) (च) में दोपहिया वाहन खरीदते समय दोपहिया वाहन के निर्माता द्वारा बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगियर की आपूर्ति करने का प्रावधान है।

v. सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 (7) (i) में मोटरसाइकिल पर ले जाए जा रहे 0 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए सुरक्षा प्रावधान हैं - वाहन के चालक को बच्चे को बांधने के लिए सुरक्षा हार्नेस का प्रावधान।

vi. सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 (7) (iii) में प्रावधान है कि 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे को पीछे बैठाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

vii. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार विभिन्न श्रेणियों की सड़कों पर विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति निर्धारित करती है।

viii. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 180 और 181, इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करके मोटर वाहन चलाने से संबद्ध अपराधों से संबंधित हैं। इस संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जान-माल की हानि को कम करने के लिए कानून को और मज़बूत किया है।

यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में है। जहां केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, वहीं इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अनुलग्नक-I

'दोपहिया वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतें' के संबंध में श्री रविचंद्र वद्दीराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2029 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दो पहिया वाहनों के कारण सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतों की संख्या			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौतों की संख्या		
	2020	2021	2022
आंध्र प्रदेश	3714	4166	3703
अरुणाचल प्रदेश	34	78	45
असम	814	997	871
बिहार	2387	2657	2984
छत्तीसगढ़	2894	3375	3856
गोवा	168	152	180
गुजरात	2889	3535	3381
हरियाणा	1792	1826	1445
हिमाचल प्रदेश	211	268	273
झारखंड	991	1317	1862
कर्नाटक	5171	4938	5686
केरल	1704	1998	2424
मध्य प्रदेश	5441	5742	6357
महाराष्ट्र	5868	6943	7733
मणिपुर	48	44	40
मेघालय	31	43	47
मिजोरम	21	18	38
नागालैंड	12	13	18
ओडिशा	2514	2531	2498
पंजाब	1698	2196	2306
राजस्थान	3052	4111	4782
सिक्किम	0	0	20
तमिलनाडु	7816	9589	11140
तेलंगाना	3469	4082	3977
त्रिपुरा	88	61	98
उत्तराखंड	352	445	327
उत्तर प्रदेश	6393	6803	6959
पश्चिम बंगाल	561	662	863
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	8	10
चंडीगढ़	23	40	40
दादरा एवं नगर हवेली	37	40	55
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	441	471	551
जम्मू एवं कश्मीर *	192	154	196
लद्दाख	–	4	4
लक्षद्वीप	0	0	2
पुदुचेरी	79	78	126
कुल	**60,913**	**69,385**	**74,897**

टिप्पण - 1.* वर्ष 2020 के लिए लद्दाख के आंकड़े शामिल

2. कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के आंकड़ों का मिलान किया गया है।
